

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ई

संख्या:सा0प्र0वि0एफ-एफ(4)-10/2000-लूज

दिनांक: 28/04/2018

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश “हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान राशि योजना-1985” के अन्तर्गत प्रदेश के स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की अविवाहित पुत्रियों की सम्मान राशि को दिनांक 01.04.2018 से मु0 ₹ 5,000/- से बढ़ाकर मु0 ₹ 10,000/- प्रतिमास करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) ए (9)-1/2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमें-05-हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण-पैन्शन-गैर योजना में से किया जाएगा।

आदेश द्वारा

सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

- पृ0सं0: यथोपरि । दिनांक: शिमला-171002, 28/04/2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-
1. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003
 2. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ले.व.ह.) हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003
 3. प्रधान सचिव (मुख्यमन्त्री) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
 4. सचिव (राज्यपाल) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
 5. समस्त प्रशासनिक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
 6. समस्त निजी सचिव, मन्त्रीगण हिमाचल प्रदेश शिमला-2
 7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
 8. संयुक्त सचिव (वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को उनके उपरोक्त अनौपचारिक टिप्पणी के सन्दर्भ में।
 9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश शिमला-5
 10. निदेशक लोक सम्पर्क हिमाचल प्रदेश शिमला-2
 11. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
 12. कोषपाल धर्मार्थ वृत्तदान/उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
 13. कोषाध्यक्ष, राजधानी कोष, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
 14. सम्बन्धित सहायक, सामान्य प्रशासन ई-शाखा हिमाचल प्रदेश शिमला-2
 15. 150 अतिरिक्त प्रतियां।


उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2